क्रमांक 16/21/88-6 जी0 एस0-II

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष ।
2. आयुक्त अम्बाला एवं हिसार मण्डल ।
3. सभी उपायुक्त एवं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) ।
4. रजिस्ट्रार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, चण्डीगढ़ ।

दिनांक : 19-5-1989.

विषय : सेवा अवधि के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को नौकरी तथा अन्य सुविधायें प्रदान करना ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 16/21/88-6 जी0 एस0-II दिनांक 3-11-88 की ओर ध्यान दें ।

2. सरकार ने मामले में पुनर्विचार के बाद निम्नलिखित निर्णय लिये हैं :—

(I) जिन कर्मचारियों की मृत्यु 3-11-88 वा उसके पश्चात होती है उन पर आश्रित सदस्य मृत्यु की तिथि से 3 वर्ष के अन्दर-2 नौकरी के लिये अपना आवेदन पत्र संबंधित अधीनस्थ कार्यालय/विभागाध्यक्ष को दे सकते हैं, जो आवेदन पत्र 3 वर्ष के पश्चात प्राप्त होंगें, उन पर नौकरी के लिये विचार नहीं किया जायेगा। यह निर्णय उन केसिज पर भी लागू होगा जिनमें कर्मचारी की मृत्यु 3-11-88 से पूर्व हो चुकी थी परन्तु आश्रितों ने अभी तक आवेदन पत्र नहीं दिये हैं ।

(II) नौकरी के लिये जो आवेदन पत्र अधीनस्थ कार्यालयों/विभागाध्यक्षों के पास 3-11-88 से पहले प्राप्त हो चुके हैं, वे अपना पूर्ण प्रस्ताव सरकार को इन हिदायतों की जारी की तिथि से 3 मास के अन्दर-2 अवश्य भेजेंगे ।

हस्ता—
उप सचिव प्रोटोकोल,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक-एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी वित्तायुक्तों, आयुक्त एवं सचिवों तथा सचिवों को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

हस्ता—
उप सचिव, प्रोटोकोल,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

हरियाणा सरकार के सभी वित्तायुक्त,
आयुक्त एवं सचिव, तथा सचिव ।

अशा: क्रमांक: 16/21/88-6 जी0एस0-II दिनांक 19-5-1989

एक प्रति मुख्यमन्त्री/मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/उप मंत्रीगण/मुख्य संसदीय सचिव महोदय के वरिष्ठ सचिवों/सचिवों/